


प्र/निग०/सतना/भू-श०/2018/01361

311

**न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा  
जिला रीवा म०प्र०**



श्रीधर महेन्द्र सिंह  
द्वारा पेशा 23-2-18

रणजीत सिंह तनय रघुबरशरण सिंह उम्र 61साल पेशा खेती सभी निवासी  
ग्राम ऐरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म०प्र० ..... आवेदक

बनाम

करिव आफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर  
(सर्किट कोर्ट) रीवा

रबिकरण सिंह तनय राममिलन सिंह उम्र करीब 60 साल पेशा खेती नि०  
ग्राम ऐरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म०प्र० .... अनावेदक

निगरानी विरुद्ध सीमांकन आदेश  
राजस्व निरीक्षक बृत्त मौहारी कटरा  
तह० अमरपाटन जिला सतना  
दिनांक 20.6.2017 जो सीमांकन  
प्रक० क० 41/अ12/16-17 मे  
पारित किया जाकर अनावेदक द्वारा  
कराये गये सीमांकन की पुष्टि की  
गई

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र०  
भू रा० संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न लिखित आधारों पर प्रस्तुत  
है:-

1- यह कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित प्रश्नाधीन सीमांकन  
पुष्टीकरण आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने  
योग्य है।

2- यह कि आवेदक सरहददी काश्तकार था तथा प्रश्नाधीन भूमि  
सर्वे नं० 28/10 से संलग्न दक्षिण दिशा में स्थिति भूमि सर्वे नं० 166/2क  
का भूमिस्वामी था जिसे पटवारी द्वारा दिनांक 19.6.17 को सीमांकन किए

(31)  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / सतना / 2018 / 01361

जिला सतना

रणजीत सिंह / रविकरण सिंह

(1)	(2)
18-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री महेन्द्र सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त मौहारी कटरा, तहसील अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 41/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 12.01.19 को कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">\_____ सदस्य</p> <p style="text-align: left;">M</p>

\\_\_\_\_\_  
सदस्य